भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1190

दिनांक 06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

1190. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सहित पूरे देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो बालिका अनुपात में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में हुई प्रगति सहित ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्षों/मुख्य परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, यदि कोई चुनौतियां/बाधाएं हों, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) इन चुनौतियों का समाधान करने/योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किए गए/प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ड.) उक्त योजना के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किए गए वित्तपोषण, जागरुकता अभियानों/सामुदायिक सहभागिता पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(च) पूरे देश में बालिकाओं के लिए बेहतर सामाजिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उक्त योजना को सुदृढ़/विस्तारित करने के लिए भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (च): बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 को बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और जीवन चक्र निरंतरता में बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता के लिए आरंभ की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना एक नीतिगत पहल से एक राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गई है, जिसमें सरकारी एजेंसियों, समुदायों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य न केवल लिंग अनुपात और लिंग आधारित भेदभाव से संबंधित

तात्कालिक चिंताओं को दूर करना है, बल्कि बालिका को महत्व देने और उसके अधिकारों तथा अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी है।

इस योजना में विभिन्न हितधारकों को जानकारी देकर, प्रभावित, प्रेरित, शामिल करके और सशक्त बनाकर बालिकाओं के प्रति मानसिकता एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय ने एक प्रचालन नियमावली (मैनुअल) तैयार की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं के समग्र विकास के लिए माहवार विशिष्ट विषयों के साथ जिला स्तर पर सुझाई गई तालमेल गतिविधियों के लिए एक विषयगत कैलेंडर शामिल है ताकि बालिकाओं, उनके परिवारों और समुदायों की वर्ष भर सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। इसके अलावा, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड वर्ष में एक बार तमिलनाडु राज्य सहित अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारी बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और समय-समय पर राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरे करके इस योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

नीति आयोग ने वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया है। इस अध्ययन में पाया गया कि मिशन शक्ति का संबल वर्टिकल, जिसमें बीबीबीपी भी शामिल है, अत्यंत प्रासंगिक है और एकीकृत एवं डेटा-संचालित सेवाओं के माध्यम से प्रमुख लैंगिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) 2014-15 में 918 से बढ़कर 2024-25 में 929 हो गया है। शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 में 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हो गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2020-21 के एचएमआईएस आंकड़ों के अनुसार, जिलों के जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) की स्थिति के आधार पर, जिलों को उनके एसआरबी के अनुसार निधि उपलब्ध कराई जाती है। जिन जिलों में एसआरबी 918 या उससे कम है, उन्हें प्रति वर्ष 40 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जिन जिलों में एसआरबी 919 से 952 के बीच है, उन्हें प्रति वर्ष 30 लाख रुपये की सहायता दी जाती है और जिन जिलों में एसआरबी 952 से अधिक है, उन्हें प्रति वर्ष 20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, आने वाले वर्षों में गठित होने वाले किसी भी नए जिले को भी 30 लाख रुपये के दायरे में रखा जाएगा। सभी निधियां व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जा रही हैं, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित हैं।
